

प्रेस नोट 21.04.19

1.दिनांक 20.04.19 को वादी श्री असकंद दास पुत्र राम बचन दास निवासी तुलसी उद्यान नयाघाट थाना को0अयोध्या, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मोटर साइकिल नं0 यूपी 32 डीजेड 1353 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की मो0सा0 मे टक्कर मार देना जिससे वादी को गम्भीर चोटे आना जिसके सम्बन्ध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 315/19 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

2.दिनांक 20.04.19 को वादी उ0नि0 श्री अंजनी कुमार प्रभारी चौकी सदर बाजार थाना कैण्ट, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अमरनाथ निषाद पुत्र स्व0 सम्पत निषाद निवासी पलिया शाहब्दी थाना कैण्ट, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 152/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

3.दिनांक 20.04.19 को वादी श्री अरविन्द तिवारी प्रभारी चौकी दर्शन नगर थाना को0अयोध्या, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि हरिश्चन्द्र मांझी पुत्र राजेन्द्र मांझी निवासी तिहुरा उपरहार थाना को0अयोध्या, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 300 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 247/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

4.दिनांक 20.04.19 को वादी उ0नि0 श्री सुनील कुमार यादव थाना रौनाही, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सर्वादीन पुत्र मिट्ठूलाल निवासी खिरौनी थाना रौनाही, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 172/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

5.दिनांक 20.04.19 को वादी श्री आशाराम पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी कुन्दुर्खा खुर्द थाना रौनाही, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42एच 7154 बोलेरो का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पिता व दोस्त को टक्कर मार कर गम्भीर रूप से घायल कर देना। जिसके सम्बन्ध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 173/19 धारा 279, 337, 338, भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया

6.दिनांक 20.04.19 को वादी व0उ0नि0 श्री सर्वेन्द्र अस्थाना थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 62 एटी 8804 ट्रक का चालक व उसके 2 साथी नाम पता अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा 19 राशि गोवंशीय साड़ व 3 राशि गाय को कूरतापूर्वक बांधकर बध हेतु ले जाते समय पुलिस बल को देखकर ट्रक छोड़कर फरार हो जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 174/19 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 घ पशु कूरता अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

7.दिनांक 20.04.19 को वादी श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र राम करन निवासी चॉदपुर थाना को0बीकापुर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की भैस चोरी कर लेना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 241/19 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

8.दिनांक 20.04.19 को वादी श्री जय प्रकाश पुत्र राम लाल निवासी बरटाडा थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रंजीत कुमार पुत्र आशाराम निवासी बरटाडा थाना इनायतनगर अयोध्या आदि 03 नफर अभि0गण द्वारा वादी को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 188/19 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।